Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2016 = 6.17, www.srjis.com
UGC Approved Sr. No.49366, JAN–FEB, 2018, VOL- 5/43

मानवाधिकार का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य

Arun Kumar, Ph. D.

Assistant professor and Head, Department of Sociology, LSSSS Government P G College Maant, Mathura

Abstract

प्रस्तुत भाोध लेख में मानव अधिकारों के प्रति अन्तर्राश्ट्रीय राजनीति एवं अन्तर्राश्ट्रीय कानून को दृश्टिगत रखते हुए मानव अधिकारों की अवधारणा, उदय एवं विकास के साथ–साथ मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोशणा एवं मानव अधिकारों के घोशणा–पत्र के अतिरिक्त संयुक्त राश्ट्र संघ के तत्वावधान में सम्पन्न प्रमुख अन्तर्राश्ट्रीय प्रसंविदाओं/ प्रोटोकोल्स एवं संधियों का अध्ययन एंव वि" लेशण किया गया है जिनको कि वि" व समुदाय ने मानव अधिकारों की संरक्षकता हेतु सम्पन्न किया है। आज यह प्रसंविदाएं एवं अन्तर्राश्ट्रीय सन्धियॉ मानव अधिकारों के संरक्षण में रीढ़ की हड्डी के समान हैं। भाोध प्रबन्ध मानव अधिकारों पर विभिन्न अभिसमयों से सम्बन्धित है, तथा मानव अधिकारों के वि" व में संरक्षण की स्थिति को व्यापक रूप में स्पश्ट किया गया है, यह भाोध, वि" व में मानव अधिकारों के उलंघन की स्थिति पर प्रका" ा डालता है एंव मानव अधिकारों पर वि" व में सम्पन्न प्रमुख अधिवे" ानों से सम्बन्धित है, तथा मानवाधिकारों सम्बन्धी समस्याओं एवं उनसे सम्बन्धित सुझावों पर प्रका" ा डाला गया है, और भाोध कार्य का मूल्यॉकन प्रस्तुत किया गया है।21वीं सदी में मानव अधिकारों को पोत्साहित करने के लिए तथा भविश्य में मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए यह नितान्त आव" यक है कि अन्तर्राश्ट्रीय विधि प्रणाली को और भी अधिक सक्रिय तथा प्रभावी बनाया जाए नहीं तो केवल आदे" ा और निदे" ा जारी कर देने अथवा कानून बना देने भर से कुछ बनने वाला नहीं, जब तक मानवाधिकार के मुख्य नियम एवं लोगों में जागरूकता सम्बन्धी निदे" ाों के पालन की दि" ा में हम सचेश्ट नहीं होंगे। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का विचार पालने, पोशित करने एवं परोसने का अधिकार निःसन्देह एक बुनियादी अधिकार है, परन्तु वह एक मात्र मानवाधिकार नहीं है। वस्तुतः व्यापक रूप में मानवाधिकार की संकल्पना में समूचा जीवन और समाज व्यवस्था सम्मिलित है। मानवाधिकार की आधारभित्ति है– मनुश्य को केन्द्र में स्थित मानकर सब कुछ का पैमाना अंगीकार करना, मनुश्य–मानवता की जड़ है।

पारिभाशिक भाब्दावली: *मानव अधिकार, सार्वभौमिक घोशणा, अधिवे" ान, भूमिका ।*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

भाोध प्ररचना : भाोध अध्ययन को सम्पादित करने के लिए पूर्णतः द्वितीयक तथ्यों पर आधारित वर्णनात्मक भाोध प्ररचना को चुना है, जिसमें ऐतिहासिक अध्ययन पध्दति को भी समावे" ात किया गया है, ताकि अध्ययन की प्रस्तुति सरल किन्तु तार्किक रूप में की जा सके।

दा"र्निक परिप्रेक्ष्य:

(1) "MAN IS THE ROOT OF MANKIND" अर्थात् मानव; मानव जाति की जड़ है।

(2) "MAN IS THE MEASURE OF ALL THINGS" अर्थात् मानव; सभी वस्तुओं का परिमाण है।

सभी जीवों, मनुश्य, प" ा, पक्षी, वनस्पति–जगत में मानव सर्वापरि है, यहॉ तक कि सर्वोत्कृश्ट कृति हैं। मानव कर्म योनि है, तथा भोग योनि भी है। पशु, पक्षी, वनस्पति, जगत की योनियॉ केवल भोग योनियॉ हैं एवं उन्हें कर्म– सम्पादन का अधिकार नहीं है। किये हुए निकृश्ट कर्मों के आधार पर जीवात्मा मानव योनि से पतित होकर अन्य योनियों में जाता है एवं कृत–कर्म का फल पाता है। मूल्य बोध से अनुप्राणित एवं अनुशासित मानव की ज्ञान, कर्म, उपासना की उपलब्धियॉ उसमें स्थित जीवात्मा

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

को दुःखरहित आनन्द का प्रसाद प्रदान कर सकती है। मानवाधिकार की चरम दार्शनिक उपलब्धि है– जीवात्मा को मोक्ष (मुक्ति, निर्वाध, अपवर्ग) की प्राप्ति। मोक्ष ऐसी स्थिति है, जिसमें जोवात्मा आनन्द में रहता है। न्याय भाास्त्र की स्थापना ह कि दुःखों का कारण भौतिक भारीर ही है। भौतिक भारीर के अत्यन्ताभाव से ही दुःखों से निवृत्ति मिलती है। मोक्ष में जीवात्मा को कोई भौतिक भारीर धारण नहीं करना पड़ता है, उसके संकल्प भारीर में वे सभी स्वाभाविक गुण व भाक्तियॉ होतो हैं जो भौतिक भारीर में संभावित है। मोक्ष की अवधि में जीवन– मृत्यु–जीवन के, आवागमन के चक्र से जीवात्मा मुक्त रहती है। भाास्त्रीय मान्यता है कि मोक्ष को अवधि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्श है। इस अवधि को परान्तकाल या महाकल्प कहते हैं। परान्तकाल तक मुक्ति का आनन्द भोग कर जीवात्मा पुनः भौतिक भारीर धारण करता है। इस भौतिक भारीर का निर्माण परमात्मा की व्यवस्था के अधीन पंच तत्वों (क्षिति, जल, पावक, समीर, गगन) से होता है एवं यह भारीर की युवावस्था होती है। ऐसी प्रथम युवा सृ" ट में ' ारीर के लिये स्त्री–पुरू" ा संसर्ग नहीं होता। युवा सृ" ट की यह अद्भुत प्रक्रिया 'गर्भ' के बाहर होती है एवं इसे अमैथुनी या अयोनिज सृश्टि कहते हैं। भविश्य के लिये यह भारीर ढॉचे का कार्य करता है। ऐसी परिस्थिति प्रलय काल की समाप्ति पर उत्पन्न होती है, जब मुक्ति/मोक्ष की निर्धारित अवधि भोगने क उपरान्त अनेकानेक जीवात्मा युवा भारीर में प्रवे" ा करते हैं। उन्हें गर्भ का दुःख नहीं भोगना पड़ता है। इसके बाद की सृश्टि स्त्री–पुरूश संसर्ग से होती है एवं संसार का चक्रगतिमान होता है। यह गति प्रलय पर्यन्त चलती है। सृश्टि एवं प्रलय का क्रम, दिन और रात्रि की भांति एकान्तर होता है। सृश्टि की अवधि 4.2 अरब वर्श ऑकी गई है तथा इसी प्रकार प्रलय की अवधि भी 4.2 अरब वर्श मान्य है। सृश्टि एवं प्रलय की अवधि का योग 8.4 अरब वर्श है एवं एक परानतकाल/महाकल्प की अवधि में 36000 बार सृश्टि एवं प्रलय की घटनाऍ होती हैं।

मोक्ष–प्राप्ति जीवन अनन्त व्यापक ब्रह्म में स्वतंत्र घूमता, भाुद्ध ज्ञान से सब सृश्टि को निहारता, अन्य मुक्तों के साथ मिलता, भाुद्ध मन से ब्रह्माण्ड में भ्रमण और रमण करता है। वह जिस–जिस आनन्द की व जब–जब कामना करता है, तब–तब उस–उस आनन्द को अपने संकल्प भारीर के माध्यम से प्राप्त करता है। जहॉ चाहता है, वहॉ विचरता है, कहीं अटकता नहीं, उसे न भय, न भांका, न दुःख होता है। मोक्ष में भौतिक भारीर एवं इन्द्रियों की गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते किन्तु स्वाभाविक भाुद्ध पूर्ण व सामर्थ्य उसके संकल्प भारीर में रहते हैं। जब सुनना चाहता है, तब श्रोत्र, स्प" ा करना चाहता है, तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु स्वाद के अर्थ रसना, गन्ध के लिये घ्राण, संकल्प विकल्प करते समय मन, नि" चय करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त और अहंकार के अर्थ अहंकार रूप अपनी स्व" ाक्ति से जीवात्मा मुक्ति में सम्पन्न होता है और उसके अभौतिक संकल्प भारीर में ये सब क्षमताऍ रहती हैं।

मुक्ति प्राप्त करने हेतु जीवात्मा को अनेक साधन व मार्ग उपलब्ध हैं। यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और समाधि का अश्टांग योग का साधन सुपरिचित एवं सुविख्यात है।

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

ज्ञान, कर्म, तथा उपासना की त्रिवणी को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, व ब्रह्मचर्य से संवारने पर मोक्ष मार्ग पर जीवात्मा आरूढ़ हो सकता है। ' ाटक सम्पत्ति द्वारा निर्दिश्ट मार्ग का अवलम्बन करते हुए छः प्रकार के कर्म करना आव" यक है। भाम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा एवं चित्त की एकाग्रता के सतत् अभ्यास से जीवात्मा के लिये मोक्ष मार्ग आलोकित होता है। श्रवण चतुश्टय मुक्ति के मार्ग को चतुश्कोणी दि" ाा प्रदान करता है। इसके अन्तर्गत उपदे" ाों एवं निर्दे" ाों को ध्यानपर्वक सुनना, तदन्तर मनन करना एवं भांकाओं तथा भ्रमों का समाधान प्राप्त करना, तदन्तर निदिध्यासन के अन्तर्गत ध्यान योग से उपलब्धि का मापन करना एवं तदन्तर परमात्मा से साक्षात्कार करना प्रस्तावित है। **मुमुक्षु को सदा 'तमोगुण'** अर्थात् क्रोध, मलीनता, आलस्य, प्रमाद आदि का त्याग करना चाहिये। **'रजोगुण'** अर्थात् ईश्र्या, द्वे" ा, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोशों को पराजित करना चाहिये तथा **'सतोगुण'** की ' ाान्त प्रकृति, पवित्रता, विद्या, दया, परहित भाव की साधना करनी चाहिये। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वे" ा तथा अभिनिवेश पंच क्लेश हैं। **वैदिक त्रैत की अवधारणा है कि प्रकृति सत् है, जीवात्मा सत्– चित् है तथा परमात्मा सत्–चित्–आनन्द है। सत् उसे कहते हैं जो सदैव रहता है, जिसका न आदि है, न अन्त। रूपान्तर सम्भावित है। चैतन्य वह है, जो चाहे तो कुछ करे, चाहे न करे, चाहे तो विपरीत करे। जीवात्मा जब तक प्रकृति से जुड़ी रहती है, उसे आनन्द की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि प्रकृति में आनन्द नहीं है। आनन्द की प्राप्ति के लिये जीवात्मा को परमात्मा से जुड़ना आवश्यक है क्योंकि परमात्मा सत्–चित्– आनन्द है।** जीवात्मा या तो प्रकृति से जुड़ी रह सकती है या परमात्मा से जुड़ सकती है। दोनों से एक साथ नहीं जुड़ सकती। प्रकृति से अलग होकर परमात्मा से जुड़ने का संक्षिप्त अनुभव सु" ाुप्ति काल की देन है। सु" ाुप्ति अथात् स्वप्न रहित गहरी नींद में मनुश्य की इन्द्रियॉ सो जाती हैं व मन भी सो जाता है तथा अल्पकाल के लिये जीवात्मा परमात्मा से जुड़ जाता है। सोकर उठने पर मनु" य कहता है कि उसे सोने म बहुत आनन्द आया। यह आनन्द सुशुप्ति काल में जीवात्मा को परमात्मा से मिला वरदान है।

जीवात्मा अल्पज्ञानी है काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ व मत्सर के फेर में फंसा है तथा अल्प सामर्थ्य वाला है। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र पर फल भोगने में परतन्त्र है। जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा। यथा जो करणी सो भरणी। जो जस करै सो तस फल चाखा। इच्छा, द्वे" ा, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान जीवात्मा के लिंग हैं अर्थात् उसकी पहचान हैं। जब तक जीवात्मा देह में होती है तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं और जब ' ारीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण ' ारीर में नहीं रहते। दा" ानिकों के अनुसार **मनुश्य के चार भारीर हैं** : एक स्थूल भारीर है, जो सबको दिखाई देता है। यह प्रकृति के क्षिति, जल, पावक, पवन और गगन के पॉच स्थूल भूतों से निर्मित है। दूसरा सूक्ष्म भारीर है। यह सत्रह कर्तव्यों का संकुल समुदाय है। इन तत्वों में पॉच प्राण (प्राण, अपान, व्यान, समान, दान), पॉच ज्ञानेन्द्रियॉ (ऑख, कान, नाक, रसना, त्वचा) पॉच सूक्ष्म भूत (रूप, भाब्द, गंध, रस, स्पर्श) और मन तथा बुद्धि सम्मिलित हैं। यह सूक्ष्म भारीर जन्म–मरण में भी जीवात्मा के साथ रहता है। इसके दो भेद

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

हैं– एक भौतिक अर्थात् जो सूक्ष्मभूतों के अ" ाों से बना है पर जो मुक्ति में नहीं रहता, दूसरा भारीर स्वाभाविक है जो जीवात्मा के स्वाभाविक सामर्थ्य–गुण–रूप हैं। यह दूसरा अभौतिक भारीर मुक्ति में भी रहता है। इस संकल्प भारीर कहते हैं। इसी से जीवात्मा मोक्ष की अवधि में आनन्द, दुख रहित सुख भोगता है। **तीसरा कारण** भारीर है। इसमें सत्, रज, तम अर्थात् प्रकृति तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। इसमें सु" ाुप्ति अर्थात् स्वप्न रहित गहरी निद्रा प्राप्त होती है। प्रकृति रूप होने से यह सर्वत्र विभु/व्यापक और सब जीवों के लिये एक ही है। **चौथा भारीरः** तुरीय भारीर है। इसमें समाधि के दौरान परमात्मा के आनन्दस्वरूप में जीवात्मा मग्न होता है। इसी समाधि संस्कारजन्य भाुद्ध भारीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत् सहायक रहता है।

मृत्यु के प" चात् जीवात्मा का उसके ज्ञान व कर्म के आधार पर मैथुनी सृश्टि में जन्म होता ह। उसके कर्म का लेखा उसके सूक्ष्म भारीर में संचित होता है। मोक्ष की प्राप्ति होने तक यही सूक्ष्म भारीर जीवात्मा के साथ संलग्न रहता है। यदि सभी कर्मों के फल भोग लिये जायें तो मुक्ति प्राप्त होती है व निरर्थक हो जाने पर यह सूक्ष्म भारीर समाप्त हो जाता है। जीवात्मा की स्वाभाविक भाक्तियॉ मुक्ति के समय संकल्प भारीर में समाई रहती हैं। यह संकल्प भारीर भौतिक नहीं होता। जीवात्मा के स्वाभाविक गुणों, भाक्तियों एवं क्षमताओं का ना" ा कभी नहीं होता यद्यपि नैमित्तक गुणों का नाश हो सकता है। कल्प की समाप्ति पर मुक्त जीवात्मा नया सूक्ष्म भारीर लेकर प्रकृति द्वारा पंच तत्वों से, 'गर्भ' के बाहर अद्भुत रूप से निर्मित, मानव का स्थूल भौतिक भारीर धारण करता है। अमैथुनी या अयोनिज सृश्टि केवल मुक्त आत्माऍ ही भौतिक भारीर प्राप्त कर सकती है।

समाधि और सु" ाुप्ति में परमात्मा का सम्बन्ध जीवात्मा के साथ होता है। इन दोनों स्थितियों में भी अन्तर है। सु" ाुप्ति में परमात्मा का आनन्द साक्षात् नहीं होता, क्योंकि जीवात्मा की बुद्धि परमात्म द" ान के योग्य नहीं होती। समाधि अवस्था में नित्य के सतत् प्रयास से जीवात्मा परमात्मा दर्शन के योग्य हो जाता है। **मानव मन में तीन प्रकार के दोश हैं** :– मल, विक्षेप, आवरण। जब तक साधक इन्द्रियों की वासनाओं को नहीं दबा सकता, तब तक मन पवित्र नहीं होता एवं मन को पाप कर्मों की वासना से पृथक नहीं किया जा सकता। मल दो" ा को दूर करने के साधन तप और दकम हैं। मन की चंचलता मन का विक्षेप दोश है। विक्षेप दूर करने का साधन ई" वर की उपासना है, जिसका विवरण अश्टांग योग क्रिया में उपलब्ध है। मन मे जो अहंकार है, वही आवरण दोश है। आवरण दोश दूर करने का साधन यथार्थ ज्ञान है। सार यह है कि सत्य सब साधनों में श्रेश्ठतम है। मन के उन्नयन के लिये पामात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना महत्वपूर्ण है। स्तुति से परमात्मा में प्रीति पैदा होती है। तद्नुसार परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव से अपने गुण, कर्म, स्वभाव को सुधारना अपेक्षित है। प्रार्थना से निरभिमानता आती है। उपासना करने से परब्रह्म से मेल होकर साक्षात्कार होता है। जो स्तुति करता है परन्तु अपना चरित्र नहीं सुधारता, उसका स्तुति करना व्यर्थ है। अपने पुरू" ाार्थ के उपरान्त ही प्रार्थना

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

करनी योग्य है। दा" िनक बोध है कि मानव अपने जीवात्मा का उन्नयन कर उच्चतम पवित्र स्थिति प्राप्त करे व माक्ष का आनन्द ले– यह सर्वाधिक श्रेश्ठ मानवाधिकार है।

मानवाधिकारों का आधुनिक स्वरूप': 'भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21' में जीवन की स्वतंत्रता के अन्तर्गत वर्णित सभी मानव अधिकारों का समावेश है। इसके पूर्व भाग तीन के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक नागरिक के मौलिक अधिकारों वर्णन है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान मानवाधिकार के अन्तर्गत ही व्याख्यायित है। अन्तर केवल इतना है कि 'भारत का संविधान' भारत के नागरिकों को मानवतावादी सुरक्षा प्रदान करता है। मानवाधिकार नागरिक की परिभा" ा में न आने वाले व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। सन् 1993 में भारत में राश्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। इसके कार्यान्वयन के लिए निम्न बिन्दुओं का निर्धारण हुआ– (1) मानवाधिकार के अन्तर्गत मानव अधिकारों की मीमांसा। (2) मानवाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आयोग के क्या कार्य हैं? (3) जॉच के बाद आयोग क्या और कौन से कदम उठा सकता है? (4) क्या आयोग के पास जॉच हेतु स्वतः की सुविधाएं हैं? (5) क्या वह स्वायत्तशासी आयोग है? (6) मानवाधिकार आयोग; ि" ाकायत के सम्बन्ध में किस प्रकार जॉच करता है? (7) जॉच के लिये आयोग के समक्ष कौन–कौन से मार्ग ह? (8) इस अधिनियम के अन्तर्गत स" ास्त्र बल हेतु कौन सी प्रक्रिया है? (9) क्या आयोग के समक्ष ि" ाकायत किसी भी भाशा में प्रस्तुत की जा सकती है? (10) कौन–कौन सी ि" ाकायतें आयोग के क्षेत्राधिकार मे नहीं आतीं। (11) केन्द्र और राज्य के कौन–कौन से दायित्व हैं अब आयाग इस अधिनियम के अन्तर्गत सिफारि" ा भेजा है? (12) आयाग को इस नियम के अन्तर्गत किस विशयों पर ध्यान आकर्शित करने का अधिकार है? (13) इसके अतिरिक्त आयोग किन प्रमुख उपकरणों पर कार्य कर सकता है?

भारतीय संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये अधिकार मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आव" यक हैं इसलिये इनको मौलिक अधिकार कहा गया है। मौलिक अधिकारों की यह अवधारणा 'प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा के बहुत समीप है। **प्रो. लॉस्की के अनुसार 'प्राकृतिक अधिकार 'प्रत्येक युग के मौलिक विचार' हैं।** इस दृि" ट से भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकार भी भारतीय जीवन दृश्टि के प्रतिबिम्ब हैं। मौलिक अधिकारों की यह व्यवस्था व्यक्ति/नागरिक को राज्य के विरूद्ध हैं। **'राज्य'** भाब्द की व्याख्या अनुच्छेद 12 में दी गई है। अनुच्छेद 13 में न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि यदि कोई विधि संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों का उल्लघन करती है तो वह अवैध घोशित की जा सकती है। **इस प्रकार न्याय पालिका को 'न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान किया गया है।' अनुच्छेद 13(1) में यह व्यवस्था की गई है कि यदि संविधान लागू होने के पूर्व (26 जनवरी 1950) कोई विधि वर्तमान संविधान का उल्लंघन करती है तो वह अवैध मानी जायेगी। समानता के अधिकार की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में की गई है। यह दो तत्वों पर बल देता है– सभी व्यक्तियों/नागरिकों को विधि के समक्ष**

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

समानता तथा विधि का समान संरक्षण। विभेद का प्रति"ोध (अनुच्छेद 15) के अन्तर्गत 'समानता के अधिकार' के सामान्य नियमों को प्रतिस्थापित किया गया है। यह अनुच्छेद केवल दे" ा के नागरिकों के लिए ही व्यवस्थित है। अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, जन्मस्थान के आधार पर नगारिक के विरूद्ध कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस अनुच्छेद में प्रयुक्त 'केवल' भाब्द अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 15(2) में धर्म के सन्दर्भ में यह कहा गया है कि धर्म, जाति, वर्ण, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, जो या तो जनता के उपयोग के लिए जनता को समर्पित किए गए हैं अथवा राज्य निधि द्वारा पूर्ण या आं" ाक रूप से पो" ात किए गए हैं उनके उपयोग के सम्बन्ध में नागरिकों पर कोई प्रतिबन्ध, अयोग्यता अथवा उत्तरदायित्व नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 15(3) में यह प्रावधान है कि राज्य स्त्रियों तथा बालकों की वि" ोश व्यवस्था के लिए प्रावधान स्थापित कर सकते हैं। राजकीय नौकरियों में समता अनुच्छेद 16(1) में वर्णित है। इस अनुच्छेद की धारा (व्यवस्था) 14 में दिए गए **'समानता के सिद्धान्त'** को प्रभावी बनाने के लिए की गयो है। अनुच्छेद 16(2) में दो नए भाब्द– 'वंशक्रम' तथा 'निवास स्थान' जोड़कर इसे और विस्तृत कर दिया गया है। अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(1) तथा अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है। यह व्यवस्था निवास स्थान से सम्बन्धित है न कि अन्य स्थान से। राज्यों को नियुक्तियों यह व्यवस्था कार्यकु" ालता की सुरक्षा के लिए की गई है। अनुच्छेद 16(4) में राज्य को यह भाक्ति निकहत है कि वह पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए राजकीय सेवाओं में आरक्षण करेगा। संविधान में पिछड़ा वर्ग भाब्द को व्याख्यायित एवं पारिभाशित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 16(5) धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 एवं 18 में अस्पृ" यता निवारण तथा खिताबों को समाप्त करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत नागरिकों के स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) में नागरिकों को सात प्रकार की स्वतंत्रता दी गयी है परन्तु अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक में इनको प्रतिबन्धित भी किया गया है। इस प्रतिबन्ध का उद्दे" य वास्तव में संविधान सभा के सदस्यों पर पड़े हुए तात्कालिक प्रभावों से अभिव्यक्त है। इसके अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामान्य हित से ऊपर रखकर इसे प्रतिबन्धित किया गया है। अनुच्छेद 19(1)(क) में अभिव्यक्ति की, वाक् की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) में सभी अधिकार भारत के नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। नागरिकों के अधिकारों पर राज्य की सुरक्षा, वि" ाश्टाचार एवं सदाचार के हित में, न्यायालय की अवमानना तथा मानहानि के समय प्रतिबन्ध अनुच्छेद 19(2) के द्वारा प्रतिबन्धित है। अनुच्छेद 19(1)(ख) नागरिकों को भाान्तिपूर्ण निःशस्त्र सभा करने के अधिकार प्रदान करता है। इसमें कुछ ' ार्तों का भी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19(1)(ग) में नागरिकों को संघ या संस्था बनाने का अधिकार देता है। परन्तु दे" ा की एकता, लोक व्यवस्था तथा नैतिकता के आधार पर 19(4) द्वारा इसे प्रतिबन्धित भी किया गया है। 19(1)(घ) द्वारा दे" ा में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। अनुच्छेद 19(1)(ङ) में भारत में कही भी निवास करने तथा बसने का अधिकार प्राप्त है। दे" ा के नागरिकों को अनुच्छेद 19(1)(च) सम्पत्ति अर्जन, धारण तथा उसके व्यय का अधिकार देता है। इस

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अधिकार को एक सीमा तक 19(5) प्रतिबन्धित कर देता है। अनुच्छेद 19(1)(छ) प्रत्येक नागरिक को वृत्ति, आजीविका, व्यापार को स्वतंत्रता देता है पर अनुच्छेद 19(6) किसी सीमा तक इसे प्रतिबन्धित भी कर देता है। अनुच्छेद 20 किसी भी व्यक्ति को दो" ा सिद्धि के विरूद्ध कार्योत्तर दण्ड विधि से संरक्षण, दोहरे खतरे से संरक्षण तथा आत्मअभिशंसन से संरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 21 में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। यह स्वतंत्रता 19(1) में दी गई स्वतंत्रताओं से भिन्न है। संविधान का अनुच्छेद 21 एवं 22 बन्दीप्रत्यक्षीकरण का है। इसके तहत बन्दी बनाए जाने वाले व्यक्ति को अधिवक्ता से परामर्श की अनुमति, 24 घण्टे के भीतर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना, कारण बताना आदि उपबन्ध प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत नागरिकों को भाोशण के विरूद्ध अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 23(1) में अनैतिक व्यापार, बेगार तथा बाध्यकारी श्रम को निशिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 23(1) में बेगार कराने वालों को दण्डित किए जाने वाले प्रावधान हैं। अनुच्छेद 24, 14 व" ा से कम आयु के बालकों को श्रम से प्रतिबन्धित करता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 एवं 30 पिछड़े वर्ग को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 30(1) में धर्म और जाति आधारित वगो को अपनी इच्छा व रूचि के अनुरूप ि" ाक्षण संस्थाओं को स्थापित करने तथा प्र" ाासन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 31(2) सम्पत्ति के अर्जन के लिए मुआवजे का प्रावधान करता है। यद्यपि अनुच्छेद 31(2) में व्यक्तिगत सम्पत्ति के सुरक्षा की गारण्टी दी गई है परन्तु 'मुआवजा' भाब्द को लेकर सदा ही संघर्श होता रहा है। 'गंगा हाईवे परियोजना' भी इसी मुआवजे का ताजा परिणाम है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। डा. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार 'यदि मुझसे पूछा जाएगा कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जिसके बिना वह भाून्य हो जाएगा तो मैं इसके सिवाय किसी का नाम न लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। मूल अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए निर्देश, आदेश, लेख जारी कर सकता है। यह आदे"ा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादे"ा, प्रतिबेध, अधिकार, पृच्छा तथा उत्प्रेरण के रूप में हो सकता है।'

आज के सन्दर्भ में मानव अधिकारों की तथाकथित वकालात करने वाले अमरीका और यूरोपीय दे" ा भारत के मानवाधिकार संगठनों, सरकार और जनसंचार माध्यमों को सन्देह से देखते हैं। मानवाधिकार सबसे पहला सन्दे" ा तो इसी दे" ा ने वि" व के अन्य दे" ाों को दिया था। भारत का भाक्ति" ााली वर्ग कागज पर या अपने व्याख्यानों में चाहे जितने भी मानवाधिकारों की बात करें परन्तु, वास्तविकता में वह इसके प्रति बिल्कुल ही प्रतिबद्ध नहीं हैं। ऐसे परिवेश में मानव अधिकारवादी स्वयमेव कौतुक का विशय बन जाते हैं। वह चिढ़ और क्रोध और भी अधिक बढ़ जाता है जब न्याय संस्थाओं व थानों पर

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

हमले, पुलिस हिरासत में मौत, कैदियों के साथ दुर्व्यवहार, जगह–जगह आतंक और मुठभेड़ के नाम पर की जाने वाली हिंसा और दमन का विरोध करता है।

मानव अधिकारों के प्रति व्यवस्थित रूप से गम्भीर चिन्तन करने, सोचने और उन्हें संगठित करने का पहला अन्तर्रा" ट्रीय प्रयास 25 सितम्बर 1926 को दासता के विरूद्ध हुए वि" व सम्मेलन क रूप में सामने आया। इसके चार वर्श बाद 28 जून 1930 को बेगार प्रथा या बलात् श्रम पर सम्मेलन हुआ। इसके 18 सालों के बाद मानव अधिकारों की प्रथम सुव्यवस्थित घोशणा 10 दिसम्बर 1948 को सामने आई। संयुक्त राश्ट्र संघ द्वारा की गयी यह घोशणा **'मानव अधिकारों की वि"वघोशणा'** या सार्वभौम घोशणा कही जाती है। इसके बाद यह क्रम आज तक जारी है। आज नारी अधिकार, बाल अधिकार, श्रमिक अधिकार तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार, बाल अधिकार, श्रमिक अधिकार तथा आदि अनेकानेक गूढ़ तथा गम्भीर प्रकृति के विशयों पर दुनिया में चर्चा हो रही है। 10 दिसम्बर को सम्पूर्ण वि" व में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी तिथि को सन् 1948 में बिना किसी असहमति वोट के संयुक्त रायट्र महासभा ने मानवाधिकारों के वि" व घोशणापत्र को अंगीकृत किया था।

व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के सम्बन्ध में अन्तर्राश्ट्रीय प्रयास का सबसे प्रथम उदाहरण **'दास प्रथा की समाप्ति'** का आन्दोलन था। यह दास– व्यापार की समाप्ति से अलग एक सामाजिक आन्दोलन था। इसके कई उपाय विदेशों मे किए गए। इसका आरम्भ उन्नीसवीं भाताब्दी में ब्रिटेन, डेनमार्क और फ्रांस ने किया। इसके बाद सन् 1833 में ब्रिटि" ा क्षेत्रों में दास प्रथा की समाप्ति के लिए ब्रिटेन की संसद ने एक विधेयक पारित किया। तदुपरान्त दास प्रथा और दास व्यापार की समाप्ति के लिए अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर समझौते हुए। **'लीग ऑफ ने"ान की स्थापना'** के बाद मानवाधिकारों की रक्षा एवं इनका बढ़ावा देने के प्रयासों में अभूतपूर्व तेजी आई। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जब **'लीग ऑफ ने"ान की स्थापना'** हुई तब आरम्भ में मानवाधिकारों का अर्थ और उसकी परिव्याप्ति समझ में आई। व्यक्ति की स्वतंत्रता से प्रतिबन्धों को हटाना, मानवाधिकारों के समर्थक अल्पमत राज्य यह चाहते थे कि एक ऐसे राज्य की स्थापना हो जो कानून व्यवस्था स्थिर रख सकें, जो मनमानी, गिरफ्तारी, सम्पत्ति की जब्ती, अभिव्यक्ति न लगाए। परिणामस्वरूप इन परिवर्तनवादी रचनात्मक विचारों के प्रभाव से मुक्ति, असुरक्षा से मुक्ति और अज्ञान से मुक्ति जैसे नकारात्मक ढंग से व्यक्त किया गया। परन्तु इनसे मक्ति सकारात्मक अधिकार का था। ि" ाक्षा, लाभदायक रोजगार, बेरोजगारी से सुरक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि को मानवाधिकारों में सम्मिलित कर लिया गया। मानवाधिकारों की रक्षा और इनको आगे बढ़ाने में संयुक्त राश्ट्रसंघ की भ्मिका महत्वपूर्ण है। संयुक्त रा" ट्रसंघ ने स्त्रियों का व्यापार रोकने, विवाह की आयु बढ़ाने, विभिन्न दे" ाों में बाल कल्याण को सुनि" चत करने तथा हजारों भारणार्थियों के पुनर्वास के लिए कदम उठाए। मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने की दृश्टि से इसका मुख्य कार्य अन्तराश्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा हुआ। जो लोग दोनों वि" व युद्धों के बीच भारतीय मजदूर आन्दोलन से जुड़े थे वे काम के घण्टे सीमित करने, कारखानों में सुरक्षा एवं चिकित्सा व स्वास्थ्य की स्थितियॉ

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सुनि"चत करने, महिलाओं और बच्चों को काम करने की मानवीय स्थितियॉ उपलब्ध कराने, मजदूरों के सम्बन्ध में उदार सहकारी नीतियों को आगे बढ़ाने में अन्तर्राश्ट्रीय श्रम संगठन के बहुमूल्य कार्यों को जानते हैं।

इटली और जर्मनी में फासिस्टवाद के उभार से लोकतन्त्र एवं निजी स्वतंत्रता का गम्भीर खतरा उत्पन्न हुआ। फासिस्टवादी देशों के उग्र रा" ट्रवाद ने अपने देश में मानवाधिकारो को नश्ट कर दिया और दूसरे दे" ाों में इनको नश्ट करने का खतरा उत्पन्न किया। सन् 1945 में फासिस्टवादी दे" ाों की हार से जो क्रान्ति सामने आई वह वि" व क्रान्ति थी। युद्ध के फासिस्टवादी चरित्र को देखते हुए **जनवरी 1941 में राश्ट्रपति रूजवेल्ट ने चार स्वतंत्रताओं– भा"ाण की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, अभाव के स्वतन्त्रता और भय से स्वतन्त्रता की घोशणा की। बाद में रूजवेल्ट और चर्चिल ने अटलांटिक घोशणापत्र में इसी उद्दे"य की घोशणा की। सन् 1944 में अमरीका, ग्रेटब्रिटेन, सोवियत संघ आर चीन ने भी डुम्बार्टन ओक्स के प्रस्तावों से सहमति जतायी। इसने संयुक्त राश्ट्रसंघ के गठन का स्वप्न देखा जो बाद में साकार हुआ। सन् 1946 में श्रीमती एलीनगर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार घोशणा पत्र संयुक्त राश्ट्रसंघ को 1948 में सौंप दिया। महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को इस घोशणा पत्र को स्वीकार कर लिया।**

अतः घोशणापत्र को व्यावहारिक सत्ता तथा मान्यता प्राप्ति हो चुकी है एवं यह लगभग अन्तर्राश्ट्रीय कानून का अंग बन चुका है। इस घोशणा पत्र को अंगीकार करने के बाद इस पर टिप्पणी करते हुए **प्रो0 जोन0पी0 हम्फे ने लिखा है– 'हमारे समय के चिन्तन पर संयुक्त राश्ट्रसंघ के किसी अन्य कानून का इतना प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें सवोंत्तम आकांक्षाएं निहित एवं घोशित हैं। किसी अन्य राजनीतिक दस्तावेज या कानूनी उपकरण की तुलना में इसका प्रभाव अधिक गहरा एवं स्थाई है।''**

नि"कर्श :

मानव अधिकारों की भावना का उदय वैदिक संस्कृति से भानैः भानैः हुआ है जिसके भिन्न कालों में भिन्न–भिन्न स्वरूप रहे हैं। वैसे ही इस मानवाधिकार की भावना का विकास धीरे–धीरे हुआ है जिसका मुख्य तत्व **'वि"वबन्धुत्व की भावना'** पर आधारित है। मानवाधिकारों का सम्बन्ध मानव व्यक्तित्व तथा सतत् विकास से जुड़ा है। जिसका अभिप्राय विभिन्न रा" ट्रों को ऐसे अधिकार प्रदान करने से है जिनका उपयोग करके प्रत्येक रा" ट्र अपने विकास को गति प्रदान कर सकता है। निःसन्देह मानव अधिकार प्राकृतिक अधिकार होते हैं, इसीलिए सभी स्तर के रा" ट्रों व उनके नागरिकों को अपना विकास करने के समान अवसर उपलब्ध कराने की यह विचारधारा रा" ट्रीय एवं अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर लागू है। सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1215 में मैग्नाकार्टा अर्थात् 'महान घोशणापत्र' प्रका"ित हुआ जिसमें कहा गया कि, **'किसी नागरिक को उस समय तक बन्दी न बनाया जाय; और न ही निर्वासित किया**

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

जाय, जब तक कि उसका अपराध सिद्ध न हो जाय।' संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोशणा के साथ 1776 में **'मानव अधिकारों की घोशणा'** में मानव के अधिकारों का स्पश्टीकरण किया। चार जुलाई सन् 1976 को स्वतंत्रता की घोशणा में कहा गया कि– **"We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their creatr with certain in all enable rights, that among these are life, liberty and pursuit of happiness."** अर्थात् **'हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनु"य जन्म से समान हैं; सभी मनुश्यों को ई"वर ने कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किए हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता; और इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता तथा अपनी समृद्धि के लिए प्रयत्न"ील रहने का अधिकार भी सम्मिलित हैं'**।

अन्तर्राश्ट्रीय स्तर के बर्लिन कॉग्रेस, ब्रुसेल्स सम्मेलन, हेग सम्मेलन (1899, 1907) आदि सम्मेलनों में सामूहिक रूप से राश्ट्रसंघ ने मानवाधिकारों पर वि" ोश बल दिया, और सन् 1929 में 'इण्टरने" ानल लॉ इन्स्टीट्यूट' ने 'अन्तर्राश्ट्रीय मानव अधिकारों' को घोशित किया। तदुपरान्त; संयुक्त राश्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकारों के आद" ार् को स्वीकार करने के साथ–साथ इनकी सार्वभौमिक घोशणा 10 दिसम्बर 1948 को की गयी जिसमें प्रस्तावना सहित कुल 30 अनुच्छेद हैं। इस प्रकार एक लम्बी यात्रा के तहत **'मानव–अधिकारों की भावना का विकास'** हुआ।

संदर्भः

श्रीवास्तव सुधारानी ; (2001) मानव अधिकार और महिला उत्पीड़न, कॉमनवैल्थ पब्लिकेसन्स, दिल्ली, पृ" ठांकन–63

Devasia V.V. ; (2007) Social Justice and Human Rights, APH Publications Co., New Delhi, p. 76.

Johari Jai Chand ; (2010) International Politics, Laxmi Narain Agrawal Publications, Agra, p. 205.

Bhanot J. Kumar ; (1998) Human Rights in Educational perspective, Published Research Paper "Samajic Sahyog" Quarterly National Research Journal, Ank (37), p. 62-66.

Prasad Beni (et.al.) (2003) Human Rights: A Basic need for personality Development & Life, Vivek Prakashan, Delhi, p. 108.

Shah Asha Kumari ; (2012) Human Rights and Vedic Sanskrit, SBPT Publications, Agra, p. 171.

Pandey J. Prasad ; (1960) Human Rights: A Philosophical Perspective : An Analysis, Oriental Press (Pvt. Ltd.), Allahabad (U.P.), p. 82.83.

Agrawala Hariom ; (2002) Implimentation of Human Rights : A Study of Applied Aspects in Indian Context, Har Anand Publications, New Delhi, p. 81-87.

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies